तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **फौजदारी अपील सख्या 99/2026** **पवन कुमार शर्मा बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2026	अपीलार्थी/अभियुक्त पवन कुमार शर्मा के अधिवक्ता श्री टीकमचंद टांक उपस्थित। अपीलार्थी/अभियुक्त पवन कुमार का हस्तगत प्रकरण में जे.सी. में होना बताया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आपराधिक **प्रकरण संख्या 6360/2017 सरकार बनाम पवन कुमार शर्मा में धारा 406, 465, 468, 471 भा.द.सं. के अपराध का दोषसिद्ध किया जाकर धारा 406 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 5 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। धारा 465 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 5 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। धारा 468 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 5 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है तथा धारा 471 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 5 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान किया है।** अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील के साथ ही धारा 389 द.प्र.सं. के तहत सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुना गया। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित दण्डादेश स्थगित करने तथा अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित दण्डादेश में पारित सजा को अपील के लम्बित रहने के दौरान स्थगित करवाना तथा अपीलार्थी/	

अभियुक्त को जमानत पर रिहा करवाना चाहा है। चूंकि अपील की सुनवाई में समय लगने की सम्भावना है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। लिहाजा अपील में उठाए गए मुद्दों व अपील की सुनवाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.02.2026 के द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दण्डादेश की क्रियान्विती को अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाना तथा अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 389 द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि– यदि अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का मुचलका एवं 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) की राशि की एक संतोषप्रद जमानत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार आज आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दे कि वह इस न्यायालय में अपील की सुनवाई के दौरान अपील के निस्तारण तक प्रत्येक पेशी पर एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा, उपस्थित होता रहेगा। तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश की क्रियान्विती ताफैसला अपील स्थगित की जाती है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। तदुपरांत तस्दीकशुदा जमानतनामा व मुचलका व पत्रावली इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 05.05.2026 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3 अजमेर